न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 — 25 / 2022 | तारीख फैसला — 30.09.2022

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति हरबिन्दर डी. सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– जोगेन्द्र उर्फ जुगराज आत्मज सूरजमल जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती</u>

<u>निर्णय</u>

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम अतरालिया पटवार हल्का चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नमबर 1228 की 0.75 हेक्टर, खसरा नमबर 1271 की 1.45 हेक्टर, कुल किता 2 की 2.20 हेक्टर कृषि भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी 2076–2079 संलग्न है।

यह कि उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता सूरजमल जी व बंशीलाल के नाम दर्ज थी उनका देहावसान होने के बाद वादी व अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुई। जिसमें वादी का 1/14 हिस्सा निहित है। सहवन से वादी का नाम जोगेन्द्र के स्थान पर जुगराज अंकित हो गया है।

यह कि उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड मतें वादी का नाम जुगराज अंकित है। जबकि वादी का नाम जोगेन्द्र है। वादी का आधार कार्ड बना हुआ है जिसमें वादी का नाम जोगेन्द्र अंकित है। पंचायत तस्दीक में भी वादी का नाम जोगेन्द्र अंकित है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जोगेन्द्र के स्थान पर जुगराज दर्ज कर दिया है जिसके कारण वादी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। वर्तमान में भी वादी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है।

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जुगराज के स्थान पर जोगेन्द्र दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम अतरालिया पटवार हल्का चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 1228 की 0.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 1271 की 1.45 हेक्टर भूमि में वादी का नाम जुगराज के स्थान पर जोगेन्द्र दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में जुगराज पुत्र सूरजमल व जोगेन्द्र पुत्र सूरजमल एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम अतरालिया पटवार हल्का चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 1228 की 0.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 1271 की 1.45 हेक्टर में वादी का नाम जुगराज पुत्र सूरजमल के स्थान पर जोगेन्द्र पुत्र सूरजमल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:27 IST
Reason: SelfAttested